

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 27—जनवरी 2, 2015 (पौष 6, 1936)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 27—JANUARY 2, 2015 (PAUSA 6, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2014

सं. राबै.मासंप्रवि.कानीप्र/एसए.08/2014-15.--राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981(1981 का 61) की धारा 60 की उप धारा (1), सहपठित धारा (2) के खण्ड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का बोर्ड, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से एतद्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पेंशन विनियमावली, 1993 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत :-

1. (1) इस विनियमावली को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पेंशन विनियमावली (संशोधित), 2014 कहा जाएगा.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे.
2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पेंशन विनियमावली, 1993 (इसके पश्चात् इसे उक्त विनियमावली कहा गया है) के विनियम 6 के उप विनियम (1) के खंड (ख) में “375/-” अंकों के स्थान पर “3500/-” अंक रखे जाएंगे.
3. उक्त विनियमावली के विनियम 7 में “375/-” अंकों के स्थान पर, “3500/-” अंक रखे जाएंगे.
4. उक्त विनियमावली के विनियम 27 के उप विनियम (2) में “375/-” अंकों के स्थान पर, “3500/-” अंक रखे जाएंगे.
5. उक्त विनियमावली के विनियम 28 में “375/-” अंकों के स्थान पर, “3500/-” अंक रखे जाएंगे.

6. उक्त विनियमावली के विनियम 32 के उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, नामतः :

“(5) परिवार पेंशन की सामान्य दर वेतन का तीस प्रतिशत न्यूनतम रु. 3500/- (तीन हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह और अधिकतम रु.24,495/- (चौबीस हजार चार सौ पचानवे रुपये) प्रतिमाह के अधीन होगी.

स्पष्टीकरण.- अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, परिवार पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम राशि, लागू मजदूरी की दर के समानुपातिक होगी”.

के आर नायर
मुख्य महा प्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
(फाइल सं. एसए 08)

(नोट : मूल विनियम दिनांक 29 अक्टूबर, 1994 की अधिसूचना सं. 44 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा तत्पश्चात् दिनांक 26 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 20 द्वारा संशोधित हुए थे.)

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 18th December 2014

No. NB. HRMD. PPD/ SA.08/ 2014-15.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (j) of sub-section (2) of section 60 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, (61 of 1981), the Board of the National Bank for Agriculture and Rural Development, with the previous approval of the Central Government and in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following regulations further to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development Pension Regulations, 1993, namely :—

- (1) The regulations may be called the National Bank for Agriculture and Rural Development Pension (Amendment) Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the National Bank for Agriculture and Rural Development Pension Regulations, 1993 (here in after referred to as the said regulations), in regulations 6, in sub-regulation (1), in clause (b), for the figures “375/-”, the figures “3,500/-” shall be substituted.
- In regulation 7 of the said regulations, for the figures “375/-”, the figures “3,500/-” shall be substituted.
- In regulation 27 of the said regulations, in sub-regulation (2), for the figures “375/-”, the figures “3,500/-” shall be substituted.
- In regulation 28 of the said regulations, for the figures “375/-”, the figures “3,500/-” shall be substituted.
- In regulation 32 of the said regulations, for the sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

“(5) The ordinary rate of family pension shall be thirty percent of the Pay, subject to a minimum of Rs.3,500/- (rupees three thousand and five hundred only) per month and a maximum of Rs.24,495/- (rupees twenty- four thousand four hundred ninety-five only) per month.

Explanation.- In the case of a part-time employee, the minimum and maximum amounts of family pension shall be in proportion to the rate of wages applicable”.

K R Nair
Chief General Manager
Human Resources Management Department
(File No. SA 08)

(Note : The principal regulations were published vide notification no.44,dated the 29th October, 1994 and subsequently amended vide notification no.20, dated the 26th March, 2009.)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in